

महत्वपूर्ण सूचना :

1. सभी नए अभ्यर्थी पंजीयन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने प्रवेश ले लिया है, वे इस पंजीयन प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे।
2. यदि अभ्यर्थी आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेना चाहता है, तो वह एक बार अपना चयन निरस्त कर सकता है। चयन निरस्त करने की यह सुविधा केवल एक बार ही उपलब्ध होगी।
3. यदि प्रथम चरण में महाविद्यालय आवंटित नहीं हुआ है अथवा अभ्यर्थी ने एक बार अपना चयन निरस्त कर दिया है और पुनः महाविद्यालय आवंटित नहीं हुआ है, तथा वह अपने पूर्व विकल्पों में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता है, तो इस चरण में काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने तथा विकल्प फॉर्म दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं है। आपकी राउंड 1 के विकल्प तथा सीट की उपलब्धता के आधार पर सीट allotment की प्रक्रिया की जाएगी।
4. यदि अभ्यर्थी महाविद्यालय के विकल्प में परिवर्तन करना चाहता है, तो उसे इस चरण में पुनः निर्धारित शुल्क जमा कर विकल्प फॉर्म भरना होगा।
5. 'Not Reported' अथवा किसी अन्य कारण से प्रवेश प्रक्रिया से बाहर हुए अभ्यर्थियों को इस चरण में पुनः शुल्क जमा कर पंजीयन करना अनिवार्य होगा। साथ ही, आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेने के बाद विकल्प फॉर्म दोबारा नहीं भरा जा सकेगा।